

फर्द अहकाम
जोदीशाखिनाम केदाल वगैरे

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी
केस संख्या 32/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19/5/25	पत्रावली पेश हुई है पी०ओ० साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/5/25 को पेश है।	
22/5/25	पत्रावली पेश हुई है पी०ओ० साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/5/25 को पेश है।	
30/5/25	पत्रावली पेश हुई है पी०ओ० साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/6/25 को पेश है।	
20/6/25	पत्रावली पेश हुई है पी०ओ० साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/7/25 को पेश है।	
25/7/25	<p>पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उपस्थित। श्री. पत्र अल्पार्थ निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अर्थात् कि किया जाना होता है। उनपानी प्रकरण को मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अल्पार्थ निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः परिणामस्वरूप श्री. पत्र 72. अन्तर्गत 212 रा. का. अर्थात् को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अल्पार्थ निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त अराजी खाता सं. 78 के ख. नं. 9, 10, 11 कुल रकबा 4.4258 हेक्टेयर वाले ग्राम हवेली तह. जागी जिला जयपुर की मौका एवं रिकार्ड की तथास्थिति बनाए रखे। एक-दूसरे के कब्जे का मत में देखल-दाजी नहीं करे। अल्पार्थ निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे। पत्रावली कुल सुमार होकर दर्ज नं. से कम ही वाखिल दफ्तर रहे।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
फागी